जबरन बेदखली की सिथति में भारतीय कानून के तहत आपके क्या अधिकार हैं?

1. भारत का संविधान

भारतीय संविधान स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर मजबूती से स्थापित है, जबकि आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है। यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच उलझा हुआ है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, जो उपयुक्त आवास के मानवाधिकार के संरक्षण और पूर्ण सुरक्षा से जुड़े हैं, में निम्न अधिकार शामिल हैं-

1) अनुच्छेद 19 (1) (इ) - प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार।

2) अनुच्छेद 19 (1) (डी) - प्रत्येक भारतीय नागरिक को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी भयमुक्त विचरण का अधिकार।

3) अनुच्छेद 21 - विधि द्वारा स्थापित कार्य पद्धति के अनुसार जीवन रक्षा एवं व्यकितगत स्वतंत्रता का अधिकार।

4) अनुच्छेद 19 (1) (जी) - प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने, या जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।

5) अनुच्छेद 14 - भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विधि द्वारा एक समान व्यवहार या कानूनी संरक्षण का अधिकार।

6) अनुच्छेद 15 (1) - प्रत्येक नागरिक को लिंग, धर्म , जाति, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार।

7) अनुच्छेद 16 - प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर का अधिकार।

संविधान निर्देशक-सिद्धांतों को प्रदत्त करता है, जिसके अनुसार भारतीय राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करता है। ये इस प्रकार हैं-

1) अनुच्छेद 39 (1) - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जीवन निर्वाह के समुचित साधनों पर एक समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति निर्देशित हो।

2) अनुच्छेद 42 - राज्य द्वारा काम की न्याय संगत एवं मानवीय सिथतियां सुरक्षित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किये जाएं।

3) अनुच्छेद 47 - पोषण का स्तर व जीवन स्तर उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य।

2. राष्ट्रीय नीतियां

अनेक राष्ट्रीय नीतियां भी सरकार द्वारा उन्नत घर एवं आवास उपलब्ध कराना आवश्यक मानती हैं।

क) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 भारत की राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, 2007, की मुख्य भावना इस प्रकार है-

समाज के उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं शहरी गरीबों को विशेष महत्व देकर 'सभी के लिए सस्ते आवास का प्रावधान। यह नीति सस्ती दरों पर भूमि, आवास एवं सेवाएं सुनिशिचत कराने का प्रयास करती है। यह शहरी निर्धन लोगों को उनके निवास स्थल अथवा कार्य स्थल के आसपास ही आवास मुहैया कराने को प्राथमिकता देती है और पुनर्स्थापन स्थल तक आसान पहुंच को भी स्वीकारती है। महिलाओं के मामले में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उन्हें समिमलित किये जाने, आवासीय नीतियों एवं कार्ययोजनाओं के प्रतिपादन व क्रियान्वयन में उनकी सुनिशिचत सहभागिता का प्रावधान करती है। यह नीति मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय मामलों में महिला संचालित घरों, एकाकी महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, कठिन आवासीय सिथयों में रह रही महिलाओं की विशेष जरूरतों पर भी जोर देती है।

ख) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन नीति, 2007

यह नीति भूमि के मालिक तथा अन्य जैसे किरायेदार, भूमिहीन, कृषि एवं गैर कृषि मजदूर, दस्तकार व अन्य ऐसे लोगों के हितों का संरक्षण करती है जिनकी आजीविका उस भूमि पर निर्भर है जो भूमि विकासपरक गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा नियत कर ली गयी है।3 प्रभावित परिवारों को जो लाभ प्रदान किये जाते हैं उनमें भूमि के बदले भूमि, प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार, बेहतरी के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, प्रभावित परिवारों के योग्य व्यकितयों को शिक्षा के लिए छात्रवृति, आवासीय सुविधाएं जिनमें प्रभावित भूमिहीन परिवारों को घर दिया जाना शामिल है।

ग) राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति का दस्तावेज, 2001

भारत के लिए अभी तक कोई आधिकारिक मलिन बस्ती नीति नहीं है, सिपर्फ एक रूपरेखा असितत्व में है, जिसमें पुनर्वास से संबंधित कुछ प्रावधान निहित हैं। राष्ट्रीय मलिन बस्ती रूपरेखा में शामिल कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- राज्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लोगों को हटाये जाने लिए कोई भी निर्णय लेने से पूर्व विकल्प तलाशने चाहिए।

- आजीविका कम प्रभावित हो, इसके लिए पुनस्र्थापना के लिए नियत स्थल की दूरी कम होनी चाहिए।

- स्थान विशेष के निवासियों को वैकलिपक स्थलों और जहां व्यावहारिक हो, स्थल चयन का अधिकार व वैकलिपक पुनर्वास राशि प्रदान करने का प्रावधान हो।

- सभी पुनर्वास स्थलों के लिए जरूरी सुविधाएं पूर्णत: सुलभ हों तथा बसासत से पूर्व सार्वजनिक यातायात का प्रावधान होना चाहिए।

- प्रभावित लोगों की आजीविका की पूर्णत: क्षतिपूर्ति एक नियत समयावधि के भीतर की जानी चाहिए।

- किसी भी पुनर्वास प्रक्रिया के लिए योजना बनाने एवं निर्णय करने में प्राथमिक दावेदारों विशेषकर महिलाओं की भूमिका आवश्यक होनी चाहिए।

- कोई भी शहरी विकास परियोजना जो समुदायों की इच्छा के विरुद्ध पुनर्वास की ओर बढ़ती है, उस परियोजना को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मूल्य अदा करने का प्रावधान करना चाहिए।

- स्थल परिवर्तन एवं परेशानी की सिथति में विशेषकर प्रतिकूल मौसम की अवधि के दौरान दखल का निर्धारित समय घटाया जाना चाहिए।

घ) शहरी पफड़ व्यवसायियों पर राष्ट्रीय नीति, 2013 नीति यह सुनिशिचत करने प्रयत्न करती है कि किसी भी पफड़ व्यवसायी को हटाए जाने अथवा स्थल परिवर्तन किये जाने से पूर्व उसे उचित सूचना दी जानी चाहिए। नीति स्पष्टत: कहती है-

3. अदालती फैसले

क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई पफैसलों में व्यवस्था प्रदान की है कि उपयुक्त आवास का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद- 21 द्वारा निर्धारित 'जीने

का अधिकार से संरक्षित है। ('कोर्इ भी व्यकित विधि द्वारा स्थापित कार्यव्यवहार के अनुसार अन्यथा अपने जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा।)

ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण अदालती फैसले आये हैं जिनमें 'आश्रय का अधिकार व 'जीने का अधिकार के मध्य स्पष्ट सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि अनुच्छेद-21 में आश्वस्त किया गया है।

चमेली सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1966) के एक वाद में अदालत ने 'जीने का अधिकार पर स्पष्ट राय व्यक्त की है:-

''किसी भी सभ्य समाज में पूर्णरूपेण प्रदत्त 'जीने का अधिकार के अंतर्गत भोजन, पानी, सुखद पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के अधिकार सन्निहित हैं। ये सभी किसी भी सभ्य समाज में मान्य मूलभूत मानवाधिकार हैं। सभी तरह के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में एवं सम्मेलनों में प्रतिष्ठापित हैं। अन्यथा भारतीय संविधान के अंतर्गत इन सभी मूलभूत अधिकारों के बिना 'जीने का अधिकार पर अमल नहीं हो सकेगा।

'आश्रय एवं उपयुक्त आवास के अधिकार को भी अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह इस प्रकार है:-

''मनुष्य के लिए आश्रय अन्ततोगत्वा उसके जान-माल का संरक्षण मात्र नहीं है। यह एक घर होता है, जहां उसके पास शारीरिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के अवसर सुलभ होते हैं। इस तरह आश्रय के अधिकार में-

रहने का पर्याप्त स्थान, सुरक्षित एवं सुन्दर बनावट, स्वच्छ व सुखद परिवेश, समुचित प्रकाश, शुद्ध हवा तथा पानी, बिजली, सफाई तथा अन्यान्य नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें इत्यादि सम्मिलित हैं, ताकि उसकी अपने दैनिक पेशे तक आसान पहुंच सुनिशिचत हो सके। इस प्रकार 'आश्रय का अधिकार से अभिप्राय किसी को सिर के ऊपर मात्र एक छत पाने तक सीमित नहीं है, अपितु सभी तरह की बुनियादी संरचना से है जो उन्हें मनुष्य की तरह जीने व विकास करने के लिए समर्थ बनाने में जरूरी हों।

बी. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय

सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (2010)9 के एक वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि बेदखल समुदायों का पुनर्वास एवं उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है।

23. याचिकाकर्ताओं को पुनर्स्थापना के लाभ की मनाही, उनको संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्राप्त आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। इन परिसिथतियों में उनकी झुग्गियों का पुनर्स्थापन सुनिश्चित किये बिना हटा देने से उनके मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन में वृद्धि होगी।

44.(....) जब किसी भूमि पर बसे हुए मलिन बस्ती वासी वहां से खदेड़े जाने की धमकी का सामना करते हैं तो ऐसी सिथति में निष्पक्षता के साथ उस पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है, भले ही उनके झुग्गियों के समूह को कानूनन सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हटाये जाने की जरूरत ही क्यों न हो। क्योंकि ऐसी सिथति में इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं विशेषकर जब दशकों पूर्व से बसे लोग अपने घरों से खदेड़ दिये जाते हैं। इन सिथतियों में आमतौर पर जो अनदेखी होती है वह यह कि एक परिवार को बलपूर्वक बेदखल किये जाने पर परिवार का हरेक सदस्य थोक के भाव अपने अधिकारों को गंवा देता है, यानी आजीविका का अधिकार, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, नागरिक तथा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का अधिकार और कुल मिलाकर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार।

57. यह अदालत संज्ञान लेना चाहेगी कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) के संदर्भ, झुग्गी में बसने वालों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते, वे अन्य नागरिकों की ही भांति जीने के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों की पहुंच में कमतर हैसियत नहीं रखते। यदि झुग्गी निवासी को जबर्दस्ती बेदखल कर दिया गया है, अन्यत्र हटा दिया गया है तो यह सुनिशिचत करना राज्य की संवैधानिक व कानूनी बाध्यता है कि प्रभावित झुग्गी निवासी बदतर हालात में नहीं है। पुनर्स्थापन सार्थक होने के साथ-साथ झुग्गी वासी के अधिकारों (जीने का अधिकार, आजीविका एवं सम्मान का अधिकार) के साथ सामन्जस्यपूर्ण हो।

पी के कौल बनाम इस्टेट अधिकारी व अन्य (2010) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निèर्ाारित किया है:-

40. (...) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने का अधिकार भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदत्त है। आश्रय का अधिकार इसी अधिकार से अनुप्रेरित है तथा भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीने का अधिकार की सार्थकता के लिए एक अभिन्न अंग की तरह मान्य है।